

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल

आदेश सं. 443 / 2015

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड

..... अपीलार्थी

बनाम

श्रीमती. गंगा देवी और अन्य

..... उत्तरदातागण

उपस्थितः—

श्री ललित बेलवाल, अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता।

श्री एम०सी० कांडपाल, उत्तरदाता संख्या. 1 की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता।

श्री दिनेश चंद्र गहटोरी, उत्तरदाता संख्या. 2 की ओर से अधिवक्ता।

दिनांक: 17 अगस्त, 2021

निर्णय

माननीय शरद कुमार शर्मा, जे.

(हाइब्रिड मोड के माध्यम से)

अपीलकर्ता, बीमा कंपनी द्वारा यहाँ, कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, हल्द्वानी, जिला नैनीताल द्वारा कर्मचारी मुआवजा आवेदन सं. 2014 की 274, श्रीमती. गंगा देवी बनाम श्री पीतांबर कांडपाल और एक अन्य, मे परित आक्षेपित अधिनिर्णय को चुनौती दी है, जिसके तहत, विद्वान पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, हल्द्वानी ने पुरस्कार और दावे पर निर्णय लेते हुए, जो दावेदार प्रतिवादी नं 1 द्वारा किया गया था, आंशिक रूप से दावेदार के पक्ष में अधिनिर्णय का आदेश दिया था, जिसमें बीमा कंपनी को रुपये 3,20,733 की राशि 5, 000 / रुपये अंतिम संस्कार के खर्च के देय राशि के रूप में, के साथ, कुल रुपये 3,75,773 / की धनराशि, का प्रतिकर के रूप में, उस पर दुर्घटना की तारीख से, उसके वास्तविक भुगतान की तारीख तक देय ब्याज 8 % के साथ, भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

2. अपीलकर्ता, यहाँ, बीमा कंपनी, और कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 30 को, जिसे इसके पश्चात् 1923 का अधिनियम कहा जाएगा, अधिनिर्णय को विभिन्न बिन्दुओं पर चुनौती देते हुए, और विशेष रूप से, दिनांक 27.07.2015 के अधिनिर्णय को चुनौती देने का मूल आधार, इस आधार पर आधारित था कि चूंकि मृत्यु “दुर्घटना” के कारण नहीं हुई थी, और इस तथ्य के कारण कि, अपीलकर्ता के अनुसार, मृत्यु का कारण नियोजन के दौरान नहीं था या इसके लिए जिम्मेदार नहीं रहराया जा सकता था, इसलिए दावेदारों को और विशेष रूप से स्वयं बीमा कंपनी द्वारा, कोई प्रतिकर नहीं दिया जा सकता था, जिसके साथ, आक्षेपित वाहन पंजीकृत था।

3. इसके अलावा, अपीलकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि यदि कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923, के अन्तर्गत प्रावधानित, प्रावधानों पर विचार किया जाये, वास्तव में, प्रतिकर की राशि, जिसे प्रतिकर आयुक्त द्वारा प्रदान किया जा सकता है, उसके पास अंतिम संस्कार के खर्चों को अधिनिर्णय की शक्ति नहीं है, क्योंकि उसके अनुसार अधिनियम, के अन्तर्गत कोई प्रावधान अंतिम संस्कार के खर्चों के भुगतान का नहीं है, इसके अतिरिक्त यह तर्क दिया गया कि दिए गए अधिनिर्णित राशि पर, ब्याज जो कि दिया गया, इस तथ्य के अलावा कि, यह उच्च पक्ष पर था, चूंकि कर्मकार आयुक्त, को अधिनिर्णय की राशि पर ब्याज लगाने की कोई शक्ति नहीं है इसलिए, दुर्घटना की तारीख से, उसके वास्तविक भुगतान की तारीख तक ब्याज @8% अधिरोपित करना भी 1923 अधिनियम के प्रावधान के विरुद्ध होने के कारण, कानून की दृष्टि में संधार्य योग्य नहीं है।

4. बीमा कंपनी की ओर से अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया कि चूंकि दावेदार, क्षतिपूर्ति आयुक्त के समक्ष कार्यवाही शुरू करने से पहले, अधिनियम

की धारा 10 के तहत उन्हें पूर्व सूचना जारी किए जाने की अनुपस्थिति में था, अतः पूरी कार्यवाही दूषित हो जाएगी।

5. अपीलार्थी / बीमा कम्पनी केविद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अभिकथित दुर्घटना की घटना के बाद, मृतक, जब वह बेहोश हो गया और बेसुध हो गया, तो उसे अस्पताल ले जाया गया और इससे पहले कि वह अस्पताल पहुंच सके, उसकी दुखद मृत्यु हो गयी। हालांकि, बाद में, एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी और मृतक का पोस्टमॉर्टम किया गया था, लेकिन डॉक्टर द्वारा, जिसने मृतक पर पोस्टमॉर्टम किया था, मृत्यु के कारण का कोई विशिष्ट कारण का पता लगाने या राय देने में समर्थ नहीं था, और बल्कि विसरा को संरक्षित किया गया था, जिसे बाद में एफएसएल प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया था।

6. किन्तु, बहस के उपरोक्त संग्रह की जांच के प्रयोजनों के लिए, संक्षिप्त तथ्य, जो अनिवार्य रूप से इस न्यायालय द्वारा एक तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचने के उद्देश्यों के लिए, विचार किए जाने की आवश्यकता है, यह है कि तथ्य, जो स्पष्ट रूप से विचारणीय है, वे हैं कि प्रश्नगत बस जिसका पंजीकरण सं. यूके-04-पीए/0170, है जिसका स्वामी प्रतिवादी संख्या 2, है kmou लिमिटेड के साथ एक अनुबंध के अन्तर्गत चल रही थी, और यह तर्क दिया गया कि घटना की तारीख पर, जो कि 11 मार्च, 2012 है, बस का उपयोग रतिघाट से विशालकोट तक एक विवाह समारोह को ले जाने के उद्देश्य से किया जा रहा था, जिसमें मृतक श्री शंकर सिंह, दावेदार प्रतिवादी नंबर 1, का पति, बस में कंडक्टर के रूप में काम कर रहा था।

7. पक्षकारों द्वारा क्षतिपूर्ति आयुक्त के समक्ष यह अभिवचन किया गया है कि, 11 मार्च, 2021, की घटना की तारीख को, जब उपरोक्त विवाह पक्ष, विवाह समारोह में भाग लेने के बाद और रात का खाना खाने के बाद दुल्हन, के विवाह स्थल पर पहुंचा, तो कहा गया कि मृतक स्वर्गीय श्री शंकर सिंह वापस आ गए थे और स्टेशनरी बस में बैठे थे, जो विवाह के पक्ष को ले जा रही थी, और वहां बस में बैठे हुए, उन्हें छाती में गंभीर दर्द हुआ, जिसे बस के चालक श्री रमेश चंद्र द्वारा देखा और पहचाना जा सकता था, जो मृतक स्वर्गीय श्री शंकर सिंह को खेरना के पास के अस्पताल ले गए, जहां अस्पताल पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था।

8. दावेदार का मामला यह था कि 11 मार्च, 2012 की घटना के समय मृतक स्वर्गीय श्री शंकर सिंह, जो उस समय बस मकंडक्टर के रूप में काम कर रहे थे, रु. 8, 000/- मसिक वेतन, पाते थे। इसके अलावा, उसे अपने व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने के लिए प्रति दिन रु. 50/- की अतिरिक्त राशि दी जाती थी, और उस समय, जब घटना हुई चूंकि वह 46 साल का था, वह 6,65,160 / मुआवजे के अलावा उक्त पर @12% प्रति वर्ष ब्याज के भुगतान के लिए हकदार होगी।

9. क्षतिपूर्ति आयुक्त के समक्ष आयोजित कार्यवाही में, उसके तर्क के समर्थन में, दावेदार ने अपना बयान पीडब्लू 1, के रूप में दर्ज करने के अलावा जबाब दावा दायर किया था, और ड्राइवर, जो दावेदार के समर्थन में पीडब्लू 2, के रूप में मैं पेश हुआ था, मौखिक बयान दर्ज करने के अलावा गवाह ने अदालत के समक्ष प्राथमिकी की प्रति, कंडक्टर के रूप में मृतक के लाइसेंस का पंजीकरण, पंचनामा, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की प्रति, फोटो आईडी कार्ड, बस का फिटनेस प्रमाण पत्र, जो घटना की तारीख को चलाया जा रहा था, बस का परमिट, पंजीकरण प्रमाण पत्र, साथ ही बीमा पॉलिसी, यह साबित करना के लिए कि घटना की तारीख को बस को वैध दस्तावेजों के साथ वैध रूप से चलाया जा रहा था।

10. बस के मालिक, प्रतिवादी संख्या. 2, ने अपने कथन में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि घटना की तारीख को बस का अपीलकर्ता के साथ वैध रूप से बीमा किया गया था जो 7 अगस्त, 2011 से 6 अगस्त, 2012 तक की अवधि के लिए वैध था। परन्तु, हालांकि, इस तथ्य को स्वीकार करने के बावजूद कि जब बस विवाह पक्षकार को ले जा रही थी बस वैध रूप से बीमित थी और आवश्यक दस्तावेज और वैध परमिट ले जा रही थी, किन्तु बीमा कंपनी जो यहां अपीलकर्ता है, द्वारा दायर किए

गए जबाब दावे में प्रतिकर से इंकार करने का आधार यह था कि, चूंकि कोई वैध आधार या साक्ष्य यह तथ्य साबित करने के लिये दावेदार द्वारा कभी प्रस्तुत नहीं किया गया था, कि घटना में मृत्यु का कारण, रोजगार के दौरान उपार्जित हुआ था, अतः दावेदार दावा याचिका में दावा किये गये किसी भी दावे का हकदार नहीं होगा।

11. बीमा कंपनी ने आगे कहा कि जब उक्त घटना 11 मार्च, 2012 को हुई थी, वास्तव में, यह वाहन के मालिक का दायित्व था कि अपीलकर्ता को सूचना देते हुए बीमा कंपनी को उक्त घटना की घटना के बारे में पूर्व सूचना जारी की जानी चाहिए थी, जिसके परिणामस्वरूप कंडक्टर स्वर्गीय श्री शंकर सिंह की मृत्यु हो गई थी। अतः ऐसी कोई पूर्व सूचना, जो अपीलकर्ता, दावेदार को भेजी गई हो कि अनुपस्थिति में, बीमा कंपनी से किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं होगा, हालांकि वे 1923 के अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत मृतक के मुख्य नियोक्ता से अपना दावा उठा सकते हैं।

12. इस प्रकार दाखिल किए गए जबाब दावा में, बीमा कंपनी, जिसने विशेष रूप से कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त के समक्ष इस आशय का मामला प्रस्तुत किया है कि चूंकि मृत्यु के कारण का नियोजन के अनुक्रम में होने से और एक “दुर्घटना”, का परिणाम होने से अतः बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है। क्योंकि, उसके दायित्व का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब तथ्य साबित हो जाए और साक्ष्य द्वारा स्थापित किया जाए कि मृत्यु का कारण एक “दुर्घटना” थी। हालांकि, तर्क के दौरान, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बहुत निष्पक्ष रूप से इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वह इस दृष्टिकोण से अधिनिर्णय पर विवाद नहीं कर रहे हैं कि मृतक स्वर्गीय श्री शंकर सिंह की मृत्यु “रोजगार के दौरान” नहीं हुई है। अतः इस न्यायालय द्वारा इस मामले का विनिश्चय करते समय, विशेष रूप से जब अपीलकर्ता स्वयं इस तथ्य को स्वीकार करता है कि 11 मार्च, 2012 की घटना मृतक स्वर्गीय श्री शंकर सिंह की नियुक्ति के दौरान हुई थी, इस प्रश्न को उत्तर देने हेतु अधिक तवज्ज्ञ देना आवश्यक नहीं है, परन्तु अपीलकर्ता द्वारा 1923 के अधिनियम की धारा 30, के अधीन आदेश से प्रस्तुत अपील पर बल डालते समय जो अंतर किया गया है, वह यह कि, अधिनियम के अधीन मुआवजे का दावा करने के प्रयोजनों के लिए, यह अनन्य रोजगार नहीं है, जो कि क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए एक आवश्यक तथ्य और विचार किया जाने वाला कारक है परन्तु जो कि अधिक महत्वपूर्ण है वह यह है कि चोट या मृत्यु “दुर्घटना”, के कारण हुई हो।

13. अपवाद, जिसे अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तैयार किया गया है, वह यह है कि प्रस्तुत मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों के तहत, चूंकि कोई वास्तविक दुर्घटना नहीं हुई थी और चूंकि वाहन किसी दुर्घटना में संलिप्त नहीं था और वास्तव में, मृतक अपना भोजन करने के बाद बस में सामान्य रूप से बैठा था और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि मृत्यु का कारण एक दुर्घटना थी, जो रोजगार के दौरान हो गयी है और विशेष रूप से इस तथ्य के कारण कि मृत्यु का कोई कारण डॉक्टर द्वारा भी पता नहीं लगाया जा सकता है, जिन्होंने मृतक का पोस्टमॉर्टम किया था। उसका मामला यह है कि अपीलकर्ता को बीमा अधिनियम की धारा 64 (v)(b) के अन्तर्गत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बीमा अधिनियम के अन्तर्गत मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है। क्योंकि उस पर मुआवजे के दायित्व का दोहन करने के लिए दोनों पहलू ‘रोजगार के दौरान’ और ‘दुर्घटना’ को एक साथ होना चाहिए।

14. उपर्युक्त पृष्ठभूमि और तर्क की दृढ़ता के तहत, अंततः एक बहुत ही सीमित विशिष्ट बात सामने आई, जिसे अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया था, यह था कि चूंकि कोई दुर्घटना नहीं हुई थी, इसलिए बीमा कंपनी द्वारा कोई मुआवजा देय नहीं किया जाएगा।

15. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तारित किए गए बहस के तर्कों के दृष्टिगत यदि विधान के सिद्धांत आशय को ध्यान में रखा जाता है, तो यह एक

ऐसा अधिनियम था जिसे 5 मार्च, 1923 को अधिसूचित किया गया था, जिसका उददेश्य निश्चित वर्ग के कर्मचारियों को, दुर्घटना के कारण हुई छोटों या मृत्यु के कारण पर्याप्त रूप से मुआवजा दिलाना था और इसलिए, अधिनियम का उद्देश्य कर्मचारियों या उनके आश्रितों को छोट या मृत्यु के मामले में मुआवजे के भुगतान का प्रावधान करना था, जो रोजगार में लगे होने के दौरान और विशेष रूप से दुर्घटना के कारण हो सकता है।

16. यदि अधिनियम के मूल आशय को ध्यान में रखा जाता है, तो मुआवजे के रूप में एक कर्मचारी या मृत्यु के मामले में उसके आश्रितों को इस प्रकार देय राशि, के तीन बुनियादी तत्व हैं, जिन्हें एक साथ और आवश्यक रूप से संतुष्ट किया जाना चाहिए:-

- i. एक दुर्घटना;
- ii. छोट या मृत्यु;
- iii ०९ छोट या मृत्यु नौकरी के दौरान हुई थी।

17. दुर्भाग्य से, अधिनियम के अन्तर्गत, दुर्घटना शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है और इसलिए, 'दुर्घटना' शब्द की व्याख्या केवल न्यायिक प्राथमिकता से ली जा सकती है, जिसने यह निर्धारित किया है कि 'दुर्घटना' शब्द की व्याख्या कैसे की जाएगी, और उन स्थितियों के लिए, जहां नियोक्ता या बीमा कंपनी को किसी कर्मचारी की छोट या मृत्यु के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता है जो रोजगार के दौरान होती है। अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत नियोक्ता के दायित्व को इस दृष्टिकोण से सीमित किया गया है कि, यदि किसी कर्मचारी को "रोजगार के दौरान" दुर्घटना के कारण व्यक्तिगत चोटें आती हैं, अपीलकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि, चूंकि यह सही और शाब्दिक अर्थों में बस की "दुर्घटना" नहीं थी, उस स्थिति में, अधिनियम की खंड 3 के तहत मुआवजे का भुगतान करने का दायित्व नियोक्ता पर नहीं लगाया जाना चाहिए था। मामले से बेहतर तरीके से निपटने के प्रयोजनों के लिए, 1923 के अधिनियम की धारा 3 का उद्वरण दिया जा रहा है:-

"3. मुआवजे के लिए नियोक्ता का दायित्व (1) यदि किसी कर्मचारी को नियोजन से और उसके दौरान होने वाली दुर्घटना से, व्यक्तिगत छोट लगी है उसका नियोक्ता इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार प्रतिकर का भुगतान करने के लिए दायी होगा:

बशर्ते कि नियोक्ता उत्तरदायी नहीं होगा ——

(अ) किसी भी छोट के संबंध में जिसके परिणामस्वरूप [तीन], दिनों से अधिक की अवधि के लिए [कर्मचारी], की कुल या आंशिक विकलांगता नहीं होती है।

(इ) [दुर्घटना के कारण होने वाली किसी भी छोट] के संबंध में, जिसका परिणाम मृत्यु या स्थायी पूर्ण अक्षमता] नहीं है जो सीधे तौर पर सम्बन्धित है कि

(i) [कर्मचारी] उस समय शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव में था, या

(ii) [कर्मचारी], ने [कर्मचारियों], की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्पष्ट रूप से दिए गए आदेश या स्पष्ट रूप से बनाए गए नियम के लिए, जानबूझकर अवज्ञा की, या

(iii) [कर्मचारी], द्वारा किसी सुरक्षा गार्ड या अन्य उपकरण को

जानबूझकर हटाने या उपेक्षा करने के लिए, जिसे वह जानता था कि [कर्मचारी], की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदान किया गया था।[***]
[***]

[2] यदि [कर्मचारी] अनुसूची (iii) के भाग क में विनिर्दिष्ट किसी नियोजन में नियोजित था, उसमें विनिर्दिष्ट किसी ऐसी बीमारी का अनुबंध करता है जो उस नियोजन के लिए विशिष्ट व्यावसायिक बीमारी के रूप में है, या यदि कोई [कर्मचारी], किसी नियोक्ता की सेवा में है जिसकी सेवा में वह अनुसूची (iii) के भाग क में विनिर्दिष्ट किसी नियोजन में कम से कम छह महीने की निरंतर अवधि (जिसमें उसी प्रकार के नियोजन में किसी अन्य नियोक्ता के अधीन सेवा की अवधि सम्मिलित नहीं होगी) के लिए नियोजित किया गया है, तो उस नियोजन के लिए विशिष्ट व्यावसायिक बीमारी के रूप में उसमें विनिर्दिष्ट किसी बीमारी का अनुबंध करता है, या यदि कोई [कर्मचारी], अनुसूची (iii) के भाग ग में विनिर्दिष्ट किसी नियोजन में एक या एक अधिक नियोक्ताओं की सेवा में ऐसी निरंतर अवधि के लिए है जो केंद्र सरकार प्रत्येक नियोजन के संबंध में विनिर्दिष्ट करे:

[बशर्ते कि यदि यह सिद्ध हो जाए,—

(क) जब कोई कर्मचारी, अनुसूची (iii) के भाग ग में विनिर्दिष्ट किसी नियोजन में एक या अधिक नियोजकों की सेवा में है, तो निरंतर अवधि के दौरान उस नियोजन के लिए इस उपधारा के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि से कम अवधि के दौरान उस नियोजन के लिए विशिष्ट व्यावसायिक रोग के रूप में उसमें विनिर्दिष्ट रोग का अनुबंध किया है और

(ख) यह रोग नियोजन से उत्पन्न हुआ है और नियोजन के दौरान, ऐसी बीमारी का अनुबंध इस धारा के अर्थ के भीतर दुष्टिना से हुई क्षति मानी जाएगी:

परन्तु यह और कि यदि यह सिद्ध हो जाता है कि कोई [कर्मचारी], जिसने अनुसूची(iii) के भाग ख में विनिर्दिष्ट किसी नियोजन में किसी नियोजक के अधीन कार्य किया है या जिसने उस नियोजन के लिए इस उपखंड के अधीन विनिर्दिष्ट किसी नियोजन में निरंतर अवधि के लिए उस अनुसूची के भाग ग में विनिर्दिष्ट किसी नियोजन में एक या अधिक नियोजकों के अधीन कार्य किया है और उसने ऐसी सेवा की समाप्ति के पश्चात, यथास्थिति, उक्त भाग ख या उक्त भाग ग में विनिर्दिष्ट किसी रोग को नियोजन के लिए विशिष्ट व्यावसायिक रोग के रूप में अनुबंधित किया है और यह कि ऐसी बीमारी नियोजन से उत्पन्न हुई है, तो रोग का अनुबंध इस खंड के अर्थ के भीतर दुर्घटना से हुई क्षति मानी जाएगी.]

[2क] यदि अनुसूची(iii) के भाग ग में विनिर्दिष्ट किसी नियोजन में नियोजित कोई कर्मचारी, उस नियोजन के लिए विशिष्ट किसी व्यावसायिक रोग का अनुबंध करता है, जिसके अनुबंध को इस खंड के अर्थ के भीतर दुर्घटना से क्षति माना जाता है, और ऐसा नियोजन एक से अधिक नियोक्ता के अधीन था, तो ऐसे सभी नियोक्ता मुआवजे के भुगतान के लिए ऐसे अनुपात में उत्तरदायी होंगे जो आयुक्त, परिस्थितियों में, न्यायसंगत समझे.]

(3) [केंद्र सरकार या राज्य सरकार], राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम तीन महीने की

सूचना देने के पश्चात ऐसी ही अधिसूचना द्वारा अनुसूची (iii) विनिर्दिष्ट रोजगारों में रोजगार का कोई विवरण जोड़ सकती है और इस प्रकार जोड़े गए रोजगारों के मामले में वे रोग विनिर्दिष्ट कर सकती हैं जो इस खंड के प्रयोजनों के लिए क्रमशः उन रोजगारों के लिए विशिष्ट व्यावसायिक रोग माने जाएंगे और उस पर उपखंड (2) के उपबंध लागू होंगे [मानो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना के मामले में, उन राज्य क्षेत्रों के भीतर, जिन तक यह अधिनियम विस्तारित है या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के मामले में, राज्य के भीतर]. [***] इस अधिनियम द्वारा ऐसी बीमारियों को उन लोगों के लिए विशिष्ट व्यावसायिक रोग घोषित किया गया हो।

(4) [उप-धारा (2), (2क)], और (3) द्वारा उपबंधित को छोड़कर किसी भी बीमारी के संबंध में किसी [कर्मचारी] को कोई मुआवजा देय नहीं होगा जब तक कि बीमारी [***] सीधे नियोजन से या नियोजन के दोरान दुर्घटना से उत्पन्न होने वाली एक विशिष्ट चोट के फलस्वरूप न हो।

(5) यदि किसी सिविल न्यायालय में नियोक्ता या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध क्षति के संबंध में हर्जाने के लिए मुकदमा दायर किया गया है तो इसमें निहित कुछ भी किसी [कर्मचारी], को किसी चोट के संबंध में मुआवजे का कोई अधिकार प्रदान करने के लिए नहीं समझा जाएगा और हर्जाने के लिए कोई मुकदमा किसी भी चोट के संबंध में किसी भी अदालत में कर्मचारी, द्वारा बनाए रखना अनुरक्षणीय नहीं होगा –

(अ) यदि उसने किसी आयुक्त के समक्ष क्षति के संबंध में मुआवजे का दावा किया है या

(ब) यदि [कर्मचारी], और उसके नियोक्ता के बीच इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार क्षति के संबंध में मुआवजे के भुगतान का प्रावधान करने के लिए एक इकरारनामा किया गया है।

18. उन्होंने आगे कहा कि यदि अधिनियम की धारा 3 के परन्तुक को ध्यान में रखा जाता है, तो यह नियोक्ता और स्वयं दावेदार की जिम्मेदारी है कि वे संदेह से परे यह दिखाएं और स्थापित करें कि चोट या मृत्यु दुर्घटना के कारण हुई थी और सीधे दुर्घटना के फलस्वरूप थी और, अभिलेख पर उक्त तथ्य के रिकॉर्ड पर कोई स्थापित साक्ष्य या सबूत होने की अनुपस्थिति में में, दावेदार, अपीलकर्ता द्वारा मुआवजे पाने में तब तक सफल नहीं हो पाएंगे जब तक कि वे यह साबित करने के भार से उन्मुक्त नहीं हो जाये, कि मृत्यु का कारण एक दुर्घटना थी, जो रोजगार के दौरान हुई है।

19. बिन्दु, जो बहुत अधिक चिंता का विषय होगा और जिसे दावेदार द्वारा नीचली अदालत के समक्ष वैकल्पिक रूप से भी दलील दिया गया है, कि हालांकि इस स्वीकार किए गए तथ्य के बावजूद कि मृतक की मृत्यु बस में बैठे हुए, सीने में गंभीर दर्द के कारण और दिल के दौरे के कारण, हो गई है, उनकी दलील यह है कि चूंकि मृत्यु रोजगार के दौरान हुई थी, इसलिए वे बीमा कंपनी से मुआवजे के हकदार होंगे, और, इसके पीछे का कारण जैसा कि दावेदार द्वारा जबाब दावा में उठाया गया था, साथ ही गवाह पी.डब्लू.1 गंगा देवी और पी.डब्लू.2 रमेश चंद्र, बस का चालक द्वारा प्रस्तुत किया है कि, मृतक स्वर्गीय श्री शंकर सिंह की मृत्यु का कारण कार्य तनाव था, क्योंकि वह बस के छत वाहक से विवाह पक्ष के सदस्यों के सामान को लोड करने और उतारने में लगातार लगे हुए थे, जिससे अत्यधिक तनाव पैदा हुआ है और इसलिए, दावेदार बीमा कंपनी से मुआवजे का हकदार होगा, क्योंकि मृत्यु का कारण, तनाव होने के कारण, अपीलकर्ता को मुआवजे का भुगतान करना होगा, क्योंकि यह पॉलिसी के

दायरे में आएगा।

20. इसके विपरीत, बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह था कि भले ही दावेदार द्वारा दिए गए तर्क के लिए यह उपधारित किया जाये कि मृत्यु का कारण तनाव था, उस स्थिति में भी, इस तथ्य के अलावा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में, तनाव को मृत्यु का कारण नहीं दिखाया गया था या मृत्यु का कारण होने का अनुरोध नहीं किया गया था, तनाव के तथ्य को दावेदारों द्वारा प्रमुख साक्ष्य द्वारा साबित करने की आवश्यकता थी और चूंकि दावेदारों ने अपना भार का निर्वह नहीं किया है, इसलिए वे मुआवजे के हकदार नहीं होंगे, भले ही वे तर्क दें कि मृत्यु का कारण तनाव के कारण था।

21. अंततः, पक्षकारों के लिए, आदेश से मौजूदा अपील के लिए, विद्वान अधिवक्ता, और विशेष रूप से, अपीलकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता ने केवल एक उत्तर का अनुरोध किया है और केवल एक प्रमुख परिप्रेक्ष्य से अपनी अपील पर बल दिया है कि, “क्या बस में बैठने के दौरान मृतक के सीने में दर्द की पीड़ा, जो अंततः दिल का दौरा पड़ने का कारण बनी, जिससे मृत्यु हुई, 1923 के अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक दुर्घटना होग”?

22. जैसा कि इस न्यायालय ने पूर्व में ही कहा है कि ‘दुर्घटना’, शब्द को अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपने बहस को पुष्ट करने के लिए विभिन्न घोषणाओं का संदर्भ दिया है, जो विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रस्तुत किए गए थे जिससे यह पुष्ट किया जा सके कि तथ्य और परिस्थितियां, जिनके तहत मृतक की मृत्यु हुई थी, उसे, 1923 के अधिनियम के दायरे लाने के लिए एक दुर्घटना नहीं होगी, जो अपीलकर्ता द्वारा भुगतान किए जाने वाले मुआवजे का निपटान करने से पहले स्थापित की जाने वाली एक पूर्व शर्त है।

23. इसके संबंध में, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ए0आई0आर0 2006 एस0 सी0 2830, में रिपोर्ट किए गए निर्णय ज्योति एडेम्मा बनाम प्लांट इंजीनियर, नेल्लोर और अन्य का संदर्भ दिया गया है, और विशेष रूप से, उन्होंने उक्त निर्णय के पैरा 8 का संदर्भ दिया है, जिसमें कहा गया था कि रोजगार के दौरान होने वाली दुष्टिना और कार्यस्थल पर दिल के दौरे के परिणामस्वरूप श्रमिकों की मृत्यु को केवल ध्यान में रखा जाएगा, विशेष रूप से तब, जब यह तथ्य कि मृतक उस समय हृदय की समस्या से पीड़ित था जब मृत्यु हुई थी और इसके विपरीत कोई सबूत नहीं होने की स्थिति में, यदि मृत्यु के कारण का तथ्य रोजगार के दौरान मृत्यु के फलस्वरूप नहीं है वह अधिनियम के उददेश्य के लिये बीमा कंपनी द्वारा दिये जाने वाले प्रतिकर के निर्धारण हेतु दुर्घटना के समान नहीं होगा।

24. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार, यह कार्य का एक अनन्य तनाव नहीं है, जिसे स्पष्ट रूप से साबित किया जाना है, लेकिन उस तनाव को कार्य की प्रकृति और कार्य जिम्मेदारी की प्रकृति से भी सह-संबंधित होना चाहिए, जो कि निर्वहन किया जा रहा है, जो हमेशा मामलों और तथ्यों के एक अलग समूह के तहत परिवर्तनशील होगा जैसा कि इसमें निहित है, और चूंकि दावेदार तनाव के तथ्य को स्थापित करने और साबित करने में समर्थ नहीं है, इसलिए, उक्त निर्णय के पैरा 8 में निर्धारित सिद्धांत को देखते हुए, बीमा कंपनी को मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है। उक्त निर्णय का पैरा 8 का उद्वरण यहां दिया जा रहा है:-

“8. प्रस्तुत मामले में यह अभिलेख पर लाया गया है कि मृतक सीने की बीमारी से पीड़ित था और पहले इस तरह की बीमारी का इलाज करा रहा था। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि मृतक का काम केवल स्थिच ऑन या ऑफ करना था और इसलिए, डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से राय दी थी कि उनके कर्तव्यों में किसी भी तनाव या तनाव की कोई गुंजाइश नहीं थी। अभिलिखित तथ्यात्मक परिणाम को ध्यान में रखते हुए, उच्च

न्यायालय का निर्णय किसी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है।”

25. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, ने अपने तर्कों को और पुष्ट करने के लिए ज्योति एडेम्सा (सुप्रा) के निर्णय के कुछ पैराग्राफ का संदर्भ दिया है, जिसके तहत, अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत दी गयी, व्यक्तिगत चोटों के प्रभाव की व्याख्या करते हुए, किसी व्यक्ति को मुआवजे का हकदार बनाने के लिए, क्योंकि चोटें उसे रोजगार के दौरान हुई थीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यह हमेशा दावेदारों या अभियोजन पक्ष पर भार है कि वह ठोस साक्ष्य से स्थापित करे कि श्रमिकों की मृत्यु और उसके रोजगार की प्रकृति के बीच एक कारणात्मक संबंध था। अर्थात् माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि, रोजगार अपने आप में अनन्य रूप से मृत्यु के कारण के लिए सहायक होना चाहिए केवल इस तथ्य के कारण कि कोई व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित था और हृदयघात के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी, जैसा कि प्रस्तुत मामले में है, अपने आप में अनन्य रूप से एक दुर्घटना नहीं होगी, हालांकि यह हो सकता है कि घटना रोजगार के दौरान हुई हो।

26. इसके संबंध में, उक्त निर्णय के पैरा 5, 6, 7 और 8 का निर्देश दिया जा सकता है और अंततः, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय, में जो निष्कर्ष निकाला गया है, जिसका संदर्भ अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिया गया है, वह यह है कि साक्ष्य द्वारा साबित करने हेतु, दुर्घटना की अभिव्यक्ति होनी चाहिए और यह सामान्य अर्थों में नहीं हो सकता है इसका उपयोग एक अनहोनी घटना या अप्रिय घटना को दर्शाने वाले शब्द के रूप में नहीं किया जा सकता है, जो विशेष रूप से पूर्व-परिकल्पित, अपेक्षित या अभिकल्पित नहीं है, लेकिन जो होती है, यह एक आकस्मिक घटना है, और उस आकस्मिक घटना को अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केवल तब दुर्घटना माना जाएगा जब दावेदार साक्ष्य से यह तथ्य साबित करे कि, कार्य जिसकी शिकायत की गयी है, का रोजगार की प्रकृति और कार्य की प्रकृति से जो घटना कारित होने के समय किया जा रहा था, से प्रत्यक्ष सम्बन्ध ओर सापेक्षता है। प्रस्तुत मामले में ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि स्वयं दावेदार के अभिवचन के अनुसार, मृतक अपना भोजन करने के बाद बस के अंदर आया और सामान्य रूप से बैठा हुआ था और इसलिए, तनाव की अभिकथित अवधि, इसके अलावा यह साबित नहीं हुआ था, यह उस समय प्रचलित नहीं था जब घटना 11 मार्च, 2012 को हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हो गई थी। अतः, यह कहा जा सकता है कि मृत्यु के कारण को दुर्घटना के कारण से सीधे सापेक्षता से लागू किया जाए, जिससे अपीलकर्ता को मुआवजे का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी बनाया जा सके।

उक्त निर्णय के पैरा 5,6,7 और 8 का आगे उद्वरण दिया जा रहा है:-

“5. अधिनियम की धारा 3 (1) जो इस मामले के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक है, निम्नानुसार है:

“3. क्षतिपूर्ति के लिए नियोक्ता का दायित्व।— (1) यदि किसी कर्मचारी को उसके नियोजन के कारण और उसके दौरान दुर्घटना से व्यक्तिगत क्षति पहुँचती है, तो उसका नियोक्ता इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए दायी होगा;

बशर्ते कि नियोक्ता इस प्रकार उत्तरदायी नहीं होगा –

(अ) किसी ऐसी चोट के संबंध में जिसके परिणामस्वरूप तीन दिनों से अधिक की अवधि के लिए कर्मचारी को पूर्ण या आंशिक रूप विकलांगता नहीं होती है।

(ब) दुर्घटना के कारण होने वाली किसी भी चोट के संबंध में, जिसका परिणाम मृत्यु या स्थायी पूर्ण अक्षमता नहीं है जो सीधे तौर पर सम्बन्धित है कि

(i) कर्मचारी, उस समय शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव में था, या

(ii) कर्मचारी, ने कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्पष्ट रूप से दिए गए आदेश या स्पष्ट रूप से बनाए गए नियम के लिए, जानबूझकर अवज्ञा की, या

(iii) कर्मचारी, द्वारा किसी सुरक्षा गार्ड या अन्य उपकरण को जानबूझकर हटाने या उपेक्षा करने के लिए, जिसे वह जानता था कि कर्मचारी, की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदान किया गया था।

6. धारा 3 (1) के अन्तर्गत यह स्थापित किया जाना चाहिए कि, कर्मकार की मृत्यु और उसके रोजगार के बीच कुछ कारण संबंध था। यदि श्रमिक की मृत्यु उस बीमारी के प्राकृतिक परिणाम के रूप में होती है जिससे वह पीड़ित था या किसी विशेष बीमारी से पीड़ित होने के दौरान वह रोजगार में टूट फूट होने के परिणामस्वरूप उस बीमारी से मर जाता है, तो नियोक्ता पर कोई दायित्व तय नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि रोजगार एक अंशदायी कारण है या मृत्यु को गति प्रदान करता है, या यदि मृत्यु न केवल बीमारी के कारण थी, बल्कि रोजगार के जुड़ी बीमारी के कारण भी थी, तो यह कहा जा सकता है कि मृत्यु रोजगार से उत्पन्न हुई और नियोक्ता उत्तरदायी होगा।

7. “दुर्घटना” वाक्यांश का अर्थ है एक अप्रिय दुर्घटना जो अपेक्षित या अभिकल्पित नहीं है। “चोट” का अर्थ है शारीरिक चोट। फेंटन बनाम थोर्ले एंड कंपनी लिमिटेड में यह अवलोकन किया गया कि “दुर्घटना” अभिव्यक्ति का उपयोग शब्द के लोकप्रिय और सामान्य अर्थों में किया जाता है, जो दुर्घटना के लिए एक अनदेखी या एक अप्रिय घटना को दर्शाता है जो अपेक्षित या अभिकल्पित नहीं है। लॉर्ड मैकनाथटेन का उपरोक्त दृष्टिकोण ट्रिम ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बनाम केली में लॉर्ड हाल्डेन, एल. सी के भाषण द्वारा योग्य था। जो निम्नानुसार है:

“मुझे लगता है कि संदर्भ से पता चलता है कि ‘डिजाइन’ शब्द का उपयोग करते हुए लॉर्ड मैकनाथटेन पीड़ित द्वारा डिजाइन किए गए शब्द का उल्लेख कर रहे थे।”

“8. प्रस्तुत मामले में यह अभिलेख पर लाया गया है कि मृतक सीने की बीमारी से पीड़ित था और पहले इस तरह की बीमारी का इलाज करा रहा था। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि मृतक का काम केवल स्विच ऑन या ऑफ करना था और इसलिए, डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से राय दी थी कि उनके कर्तव्यों में किसी भी तनाव या तनाव की कोई गुंजाइश नहीं थी। अभिलिखित तथ्यात्मक परिणाम को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय का निर्णय किसी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है।”

27. एक अन्य निर्णय पर, जिस पर अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निर्भर किया गया है, वह है मलिकार्जुन जी. हीरेमथ बनाम शाखा प्रबंधक, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एक अन्य जो (2009) 13 एस.सी.सी. 405, में रिपोर्ट किया गया। उस मामले में, तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह थी कि अधिनियम की धारा 3 के तहत मुआवजे का निर्धारण करते समय, मालिक के वाहन का चालक, जिसे यात्रियों को एक विशेष गंतव्य तक ले जाने का निर्देश दिया गया था, गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर, चालक खुद ही पास के तालाब में गया और स्नान करते समय वह फिसल गया और डूब गया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। उस मामले में, माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि बीमाकर्ता मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, बल्कि यह अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत नियोक्ता से वसूलनीय योग्य होगा, क्योंकि मृत्यु, जो रोजगार के दौरान या दुर्घटना के कारण नहीं हुई थी, क्योंकि यह यात्रियों को एक विशेष पूर्व निर्धारित गंतव्य पर ले जाने की अपनी पेशेवर जिम्मेदारी को पूरा करने के बाद थी, मृतक ने अपने दम पर तालाब की यात्रा की थी, जहां वह डूबने के कारण दुखद मृत्यु के साथ मिला था। इसलिए, उस मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, सिद्धांतों पर विचार कर रहा था, और विशेष रूप से, कानून के अन्तर्गत उपयोग की जाने वाली शब्दावली, पर जो है “से उत्पन्न” और “रोजगार के दौरान”। चूंकि इन दोनों पहलुओं को उक्त मामले के तथ्यों में स्थापित नहीं किया गया था, इसलिए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि बीमा कंपनी, मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी, जो कि पैरा 12 और 13 में और उक्त निर्णय में निर्धारित किया गया है, जिसका यहां उद्वरण दिया गया है:-

“12. “5. अधिनियम की धारा 3 (1) जो इस मामले के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक है, निम्नानुसार है:

“3. क्षतिपूर्ति के लिए नियोक्ता का दायित्व।— (1) यदि किसी कर्मचारी को उसके नियोजन के कारण और उसके दौरान दुर्घटना से व्यक्तिगत क्षति पहुँचती है, तो उसका नियोक्ता इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए दायी होगा:

बशर्ते कि नियोक्ता इस प्रकार उत्तरदायी नहीं होगा –

(अ) किसी ऐसी चोट के संबंध में जिसके परिणामस्वरूप तीन दिनों से अधिक की अवधि के लिए कर्मचारी को पूर्ण या आंशिक रूप विकलांगता नहीं होती है।

(ब) दुर्घटना के कारण होने वाली किसी भी चोट के संबंध में, जिसका परिणाम मृत्यु या स्थायी पूर्ण अक्षमता नहीं है जो सीधे तौर पर सम्बन्धित है कि

(i) कर्मचारी, उस समय शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव में था, या

(ii) कर्मचारी, ने कर्मचारियों, की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्पष्ट रूप से दिए गए आदेश या स्पष्ट रूप से बनाए गए नियम के लिए, जानबूझकर अवज्ञा की था।’

(iii) कर्मचारी, द्वारा किसी सुरक्षा गार्ड या अन्य उपकरण को जानबूझकर हटाने या उपेक्षा करने के लिए, जिसे वह जानता था कि कर्मचारी, की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदान किया गया था।

6. धारा 3 (1) के अन्तर्गत यह स्थापित किया जाना चाहिए कि, कर्मकार की मृत्यु और उसके रोजगार के बीच कुछ कारण संबंध था। यदि श्रमिक की मृत्यु उस बीमारी के प्राकृतिक परिणाम के रूप में होती है जिससे वह पीड़ित था या किसी विशेष बीमारी से पीड़ित होने के दौरान वह रोजगार में टूट फूट होने के परिणामस्वरूप उस बीमारी से मर जाता है, तो नियोक्ता पर कोई दायित्व तय नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि रोजगार एक अंशदायी कारण है या मृत्यु को गति प्रदान करता है या यदि मृत्यु न केवल बीमारी के कारण थी, बल्कि रोजगार के जुड़ी बीमारी के कारण भी थी, तो यह कहा जा सकता है कि मृत्यु रोजगार से उत्पन्न हुई और नियोक्ता उत्तरदायी होगा।

7. ‘दुर्घटना’ वाक्यांश का अर्थ है एक अप्रिय दुर्घटना जो अपेक्षित या अभिकल्पित नहीं है। ‘चोट’ का अर्थ है शारीरिक चोट। फेंटन बनाम थोर्ले एंड कंपनी लिमिटेड में यह अवलोकन किया गया कि ‘दुर्घटना’ अभिव्यक्ति का उपयोग शब्द के लोकप्रिय और सामान्य अर्थों में किया जाता है, जो दुर्घटना के लिए एक अनदेखी या एक अप्रिय घटना को दर्शाता है जो अपेक्षित या अभिकल्पित नहीं है। लॉर्ड मैकनाथ टेन का उपरोक्त दृष्टिकोण ट्रिम ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बनाम केली में लॉर्ड हाल्डेन, एल. सी के भाषण द्वारा योग्य था। जो निम्नानुसार है :

‘.....मुझे लगता है कि संदर्भ से पता चलता है कि “डिजाइन” शब्द का उपयोग करते हुए [लॉर्ड मैकना] घटेन पीड़ित द्वारा डिजाइन किए गए शब्द का उल्लेख कर रहे थे।’”

उपरोक्त स्थिति को इस न्यायालय द्वारा ज्योति एडेम्स बनाम प्लांट इंजीनियर एस. सी. सी. पीपी में 514–15, पैरा 5–7. में उजागर किया गया था।

13. “20. ई.एस.आई. निगम बनाम फ्रांसिस डी कोस्टा में इस न्यायालय ने लॉर्ड राइट के डोवर नेविगेशन कंपनी लिमिटेड बनाम इसाबेला क्रेग में निर्णय को अनुमोदन के साथ संदर्भित किया गया जहाँ यह अवधारित किया गया था: (इसाबेला मामला, ए.सी. पी. 199)

‘... रोजगार से और उसके दौरान उत्पन्न होने वाले शब्दों से सरल कुछ भी नहीं हो सकता है। यह स्पष्ट है कि दो शर्तों को पूरा करना है। रोजगार के “अनुक्रम में” जो उत्पन्न होता है उसे “रोजगार से उत्पन्न होने वाले” से अलग किया जाना चाहिए। पहले शब्द व्यक्ति की सेवा के संदर्भ में नियत समय से संबंधित हैं, बाद वाला कार्य-कारण से संबंधित है। प्रत्येक दुर्घटना जो किसी व्यक्ति के साथ उस समय होती है जब वह अपने रोजगार पर होता है—यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो वह करने

के लिए नियोजित होता है—मुआवजे का दावा नहीं करता है, जब तक कि यह भी रोजगार से उत्पन्न न हो। इसलिए धारा एक अंतर की विवक्षा करता है जिसे यह परिभाषित नहीं करता है। भाषा सरल और अयोग्य है।’

21. हम इस बात से बेखबर नहीं हैं कि एक दुर्घटना से आंतरिक चोट लग सकती है जैसा कि अपील न्यायालय द्वारा फेंटन बनाम थोर्ले एंड कंपनी लिमिटेड में अभिनिर्धारित किया गया था:(ए. सी. पी. 448)

‘... इसलिए, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि “दुर्घटना” शब्द का उपयोग लोकप्रिय और सामान्य अर्थों में एक अनदेखी दुर्घटना या अप्रिय घटना को दर्शाने के लिए किया जाता है। जो अपेक्षित या परिकल्पित नहीं है।’

लॉर्ड लिंडले ने कहा: (फेंटन केस, एसी पी. 453)

“दुर्घटना” शब्द स्पष्ट रूप से परिभाषित अर्थ वाला तकनीकी कानूनी शब्द नहीं है। सामान्य तौर पर, कहा जाये तो, परन्तु कानूनी दायित्वों के संदर्भ में, एक दुर्घटना का अर्थ है कोई भी अनपेक्षित और अप्रत्याशित घटना जो चोट या हानि पैदा करती है। लेकिन इसका उपयोग अक्सर इसके कारण के अतिरिक्त, किसी भी अनपेक्षित और अप्रत्याशित नुकसान या चोट को दर्शाने के लिए किया जाता है और यदि कारण का पता नहीं चलता है तो नुकसान या चोट को निश्चित रूप से दुर्घटना कहा जाएगा। “दुर्घटना” शब्द का उपयोग अक्सर कारण और प्रभाव दोनों को दर्शाने के लिए किया जाता है, उनके बीच भेदभाव करने का कोई प्रयास नहीं किया जाता है। जिसे दुर्घटना कहा जाता है, उनमें से अधिकांश लापरवाही के कारण होती हैं लेकिन कानूनी उद्देश्यों के लिए लापरवाही को अन्य अनपेक्षित और अप्रत्याशित घटनाओं से अलग करना अक्सर महत्वपूर्ण होता है।’

22. बड़ी संख्या में अंग्रेजी और अमेरिकी निर्णय हैं, जिनमें से कुछ पर इस तरह के निष्कर्ष के लिए आवश्यक सामग्री और अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों को आकर्षित करने वाले परीक्षणों के संबंध में मामला, ईएसआई कॉर्परेशन मामले में ध्यान दिया गया है। सिद्धांत इस प्रकार हैं:

(1) चोट और दुर्घटना और दुर्घटना और रोजगार के दौरान किए गए कार्य के बीच एक कारण संबंध होना चाहिए।

(2) आवेदक पर यह दिखाने की जिम्मेदारी है कि यह काम और परिणामी तनाव था जिसने चोट में योगदान दिया या उसे बढ़ा दिया।

(3) यदि अभिलेख पर लाया गया साक्ष्य एक वृहद, संभावना स्थापित करता है जो एक समझदार व्यक्ति को संतुष्ट करता है कि कार्य ने व्यक्तिगत चोट के कारण में योगदान दिया, तो यह कर्मकार के लिए सफल होने के लिए पर्याप्त होगा, लेकिन यह प्रत्येक मामले के तथ्य पर निर्भर करेगा।

* * *

25. दुर्घटना से मृत्यु हो सकती है लेकिन यह साबित होना चाहिए कि दुर्घटना हुई थी। केवल इसलिए कि नौकरी के दौरान मृत्यु हो गई है, दुर्घटना के समान नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, मृत्यु दुर्घटना से उत्पन्न होनी चाहिए। ऐसा कोई उपधारणा नहीं है कि कोई दुर्घटना हुई थी।

26. इस प्रकृति के मामले में यह साबित करने के लिए कि दुर्घटना हुई है, अन्य बातों के साथ साथ साथ-साथ जिन कारकों को स्थापित करना होगा, वे हैं:

(1) तनाव और रोजगार के दौरान उत्पन्न होने वाला तनाव

(2) रोजगार की प्रकृति,

(3) तनाव और तनाव के कारण चोट का गम्भीर हो जाना

* * *

31. बी.ई.एस.टी. अन्डरटेंकिंग बनाम एजिन्स में, अपील न्यायालय के जेनकिंस बनाम एल्डर डेम्पस्टर लाइन्स लिमिटेड के निर्णय का उल्लेख करते हुए, इस न्यायालय ने उसमें यह मत व्यक्त किया कि एक व्यापक परीक्षा, अर्थात् दुर्घटना और रोजगार के बीच एक संबंध होना चाहिए। इसने सौराष्ट्र साल्ट एम.एफ.जी बनाम बाई वालू राजा में इस न्यायालय के फैसले का भी अनुसरण किया।

* * *

33. मैकिनन मैकेंजी एंड कंपनी (पी) लिमिटेड बनाम इब्राहिम महमूद इसाक

में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया: (एससीसी पृष्ठ 611, पैरा 5)

'5. अधिनियम के अंतर्गत आने के लिए दुर्घटना से चोट रोजगार से और उसके दौरान दोनों में उत्पन्न होनी चाहिए। "रोजगार के क्रम में" शब्दों का अर्थ है "उस कार्य के क्रम में जो श्रमिक करने के लिए नियोजित है और जो इसके लिए प्रासंगिक है। "रोजगार से उत्पन्न होने वाल" शब्दों का अर्थ यह समझा जाता है कि "रोजगार के दौरान, चोट सेवा के कर्तव्यों के लिए आकस्मिक कुछ जोखिम के परिणामस्वरूप हुई है, जो, जब तक कि स्वामी के प्रति कर्तव्य में संलग्न नहीं है, यह विश्वास करना उचित है कि श्रमिक को अन्यथा नुकसान नहीं उठाना पड़ता। "दूसरे शब्दों में दुर्घटना और रोजगार के बीच एक कारण संबंध होना चाहिए। "रोजगार से उत्पन्न" अभिव्यक्ति पुनः केवल रोजगार की प्रकृति तक ही सीमित नहीं है। यह अभिव्यक्ति रोजगार पर इस प्रकार लागू होती है—इसकी प्रकृति, इसकी शर्तों, इसके दायित्वों और इसकी घटनाओं पर। यदि उन कारकों में से किसी के कारण श्रमिक को विशेष खतरे के क्षेत्र में लाया जाता है तो चोट वह होगी जो "रोजगार स" उत्पन्न होती है। इसे अलग तरह से रखने के लिए यदि दुर्घटना किसी जोखिम के कारण हुई थी जो रोजगार की एक घटना है, तो मुआवजे का दावा तब तक सफल होना चाहिए, जब तक कि निश्चित रूप से श्रमिक ने अपने स्वयं के अविवेकपूर्ण कार्य से खुद को एक अतिरिक्त खतरे में नहीं डाला हो।'"'

28. उपरोक्त निर्णय में, फिर से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य को दोहराया है कि दावेदार का मुआवजे के भुगतान के लिए हकदार होने के लिए, यह उस पर भार है, जिसे अनिवार्य रूप से निर्वहन करने की आवश्यकता थी, कि "रोजगार के दौरान" "चोट" और "दुर्घटना" का आकस्मिक संबंध है, और इसे स्थापित करने की जिम्मेदारी दावेदार द्वारा निर्वहन की जानी चाहिए, जो प्रस्तुत मामले में निष्पादित नहीं किया गया था और इसलिए, बीमा कंपनी को मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि यह चुनौती के अन्तर्गत दिनांक 27.07.2015 के आक्षेपित अधिनिर्णय द्वारा निर्धारित किया गया है। इसके अलावा इस कारण से कि दावेदार या मालिक, या तो अभिवचनों द्वारा या अभिलेख पर किसी साक्ष्य के माध्यम से या यहां तक कि अपनी मौखिक गवाही में यह साबित करने में समर्थ नहीं थे कि, यहां तक कि एक कल्याणकारी कानून को लागू करने के उद्देश्यों के लिए, तनाव के सिद्धांत को भी एक दुर्घटना के दायरे में लाया जाने के लिये, यह शायद उन पर भार था, जिसका यह दर्शाने के लिये निर्वहन किया जाना था कि एक आधिकारिक कर्तव्य का पालन करते समय, काम के कारण तनाव बढ़ गया था, जिसने दुर्घटना में योगदान दिया है।

29. इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि अचानक और अप्रत्याशित घटना, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु होने की संभावना होती है, को हमेशा सभी परिस्थितियों में लागू नहीं किया जा सकता है, कि एक दुर्घटना के रूप में माना जाये, जो रोजगार के दौरान होने से संबंधित हो सकता है क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं हैं, जो रोजगार के अनुक्रम से परे भी संभावित हैं, जैसा कि प्रस्तुत मामले में भी हुआ है।

30. फिर भी, एक अन्य निर्णय, जिस पर अपीलार्थी के वकील द्वारा निर्भर किया गया है, वह 1992 (1) टीएसी 206 में रिपोर्ट किया गया है। मुख्य रूप से, इस निर्णय की पृष्ठभूमि में था कि कर्मचारी, जिसके आश्रितों ने मुआवजे का दावा किया है, ने अभिवचनों में तर्क दिया था कि उक्त मामले में मृत्यु तनाव के कारण हुई थी और इसलिए, वे मुआवजे के हकदार होंगे, लेकिन चूंकि तनाव का तथ्य, हमेशा रोजगार की प्रकृति के से सम्बन्धित होने के कारण, स्थापित नहीं किया गया था, जिसका भार दावेदारों द्वारा निर्वहन किया जाना आवश्यक था, इसलिए मुआवजे की राशि भुगतान करने के लिए अपीलकर्ता बीमा कंपनी द्वारा उत्तरदायी नहीं थी।

31. अब तक, शकुंतला चंद्रकांत श्रेष्ठी बनाम प्रभाकर मारुति गर्वाली और एक अन्य 2007 (11) एस. सी. सी. 668, में रिपोर्ट किये गये एक अन्य निर्णय में भी, यह एक ऐसा मामला था, जहां एक व्यक्ति की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी, जिसमें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि, अपने आप में

विशेष रूप से एक स्वचालित पुनरारंभ का परिणाम नहीं हो सकता है कि वह एक दुष्टिना के कारण हुआ था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय ने अपने पैरा 15, 16, 19, 20, 22, 23, 25, 26 और 28 में उक्त तथ्य पर काफी विस्तार से विचार किया है। जिनका उद्वरण दिया जा रहा है

“15. उक्त अधिनियम को नियोक्ताओं के कुछ वर्गों द्वारा दुर्घटना से हुए नुकसान के मुआवजे के लिए कर्मकारों को भुगतान का प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। अधिनियम के तहत “आकस्मिक चोट” शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। हालाँकि, मुआवजे के भुगतान के लिए नियोक्ता का दायित्व तब उत्पन्न होगा जब किसी कर्मचारी को उसके रोजगार के कारण और उसके दौरान दुष्टिना से व्यक्तिगत चोट लगी हो। अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत निहित प्रावधान को आकर्षित करने के लिए जो आवश्यक है वह यह है कि (i) एक कर्मचारी को चोट लगी होनी चाहिए (ii) ऐसी चोट एक दुर्घटना के कारण हुई होनी चाहिए और (iii) यह उसके रोजगार से या उसके दौरान उत्पन्न हुई।

16. अधिनियम के प्रावधानों का विश्लेषण करने से पहले, हम देख सकते हैं कि दावा याचिका में, ऐसा कोई आरोप नहीं था कि (i) मृतक की मृत्यु काम के किसी तनाव के कारण हुई थी (ii) अपीलकर्ता को मृतक द्वारा किए जाने वाले कार्य की मात्रा या प्रकृति के संबंध में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी और (iii) कि उसकी सेवा के दौरान कितना गंभीर तनाव हुआ था।

19. युवा व्यक्तियों में हृदय रोग की पीड़ा अज्ञात नहीं है। हृदय रोग गुप्त रह सकता है। एक व्यक्ति को हल्का दिल का दौरा पड़ सकता है लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो सकता है। इस प्रकार, कुछ सबूत होने चाहिए कि रोजगार ने मृतक की मृत्यु में योगदान दिया। यह स्थापित किया जाना आवश्यक है कि मृत्यु रोजगार के दौरान हुई थी।

20. ई. एस. आई. निगम मामले में इस न्यायालय ने लॉर्ड राइट के डोवर नेविगेशन कंपनी लिमिटेड बनाम इसाबेला क्रेग में निर्णय को अनुमोदन के साथ संदर्भित किया गया (ई.आर.पी.563 जी-एच)

“रोजगार से और उसके दौरान उत्पन्न होने वाले शब्दों से सरल कुछ भी नहीं हो सकता है। यह स्पष्ट है कि दो शर्तों को पूरा करना है। रोजगार के ”अनुक्रम में” जो उत्पन्न होता है उसे “रोजगार से उत्पन्न होने वाले” से अलग किया जाना चाहिए। पहले शब्द व्यक्ति की सेवा के संदर्भ में नियत समय से संबंधित हैं, बाद वाला कार्य-कारण से संबंधित है। प्रत्येक दुर्घटना जो किसी व्यक्ति के साथ उस समय होती है जब वह अपने रोजगार पर होता है—यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो वह करने के लिए नियोजित होता है—मुआवजे का दावा नहीं करता है, जब तक कि यह भी रोजगार से उत्पन्न न हो। इसलिए धारा एक अंतर की विवक्षा करता है जिसे यह परिभाषित नहीं करता है। भाषा सरल और अयोग्य है।”

22. बड़ी संख्या में अंग्रेजी और अमेरिकी निर्णय हैं, जिनमें से कुछ पर इस तरह के निष्कर्ष के लिए आवश्यक सामग्री और अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों को आकर्षित करने वाले परीक्षणों के संबंध में मामला, ईएसआई कॉर्परेशन मामले में ध्यान दिया गया है। सिद्धांत इस प्रकार है:

(1) चोट और दुर्घटना और रोजगार के दौरान किए गए कार्य के बीच एक कारण संबंध होना चाहिए।

(2) आवेदक पर यह दिखाने की जिम्मेदारी है कि यह काम और परिणामी तनाव था जिसने चोट में योगदान दिया या उसे बढ़ा दिया।

(3) यदि अभिलेख पर लाया गया साक्ष्य एक बहुद, संभावना स्थापित करता है जो एक समझदार व्यक्ति को संतुष्ट करता है कि कार्य ने व्यक्तिगत चोट के कारण में योगदान दिया, तो यह कर्मकार के लिए सफल होने के लिए पर्याप्त होगा, लेकिन यह प्रत्येक मामले के तथ्य पर निर्भर करेगा।

23. लगी हुई चोट एक शारीरिक चोट होनी चाहिए। दुर्घटना को, आम तौर पर, अप्रत्याशित या समझ से बाहर या अप्रत्याशित या समझा नहीं जा सका के रूप में समझना होगा। इस प्रकार, अन्य बातों के साथ साथ साथ, कार्य की प्रकृति और उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जिसमें मृतक को रखा गया था, तथ्य का निष्कर्ष निकालना होगा।

25. दुर्घटना से मृत्यु हो सकती है लेकिन यह साबित होना चाहिए कि दुर्घटना हुई थी। केवल इसलिए कि नौकरी के दौरान मृत्यु हो गई है, दुर्घटना नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, मृत्यु दुर्घटना से उत्पन्न होनी चाहिए। ऐसी कोई उपधारणा नहीं है कि कोई दुर्घटना हुई थी।

26. इस प्रकृति के मामले में यह साबित करने के लिए कि दुर्घटना हुई है, अन्य बातों के साथ साथ जिन कारकों को स्थापित करना होगा, वे हैं:

- ((1) तनाव और रोजगार के दौरान उत्पन्न होने वाला तनाव
- (2) रोजगार की प्रकृति,
- (3) तनाव और तनाव के कारण चोट का गम्भीर हो जाना

28. केवल इसलिए कि किसी व्यक्ति की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाती है, यह स्वचालित अवधारणा को जन्म नहीं देता है कि यह दुर्घटना से हुआ था। एक व्यक्ति हृदय रोग से पीड़ित हो सकता है, हालाँकि उसे इसके बारे में पता नहीं होगा। इस संबंध में न्यायालय को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए चिकित्सकीय राय प्रासंगिक होगी।“

32. संक्षेप में, यदि शकून्तला चंद्रकांत श्रेष्ठी (सुप्रा) के पूर्वोक्त निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को विचार में लिया जाता है तो उसमें यह अंतर किया गया है कि चूंकि आकर्षिक चोट या आकर्षिक मृत्यु कों अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए मुआवजे के भुगतान से नियोक्ता का दायित्व तब भी उत्पन्न होगा जब रोजगार के दौरान व्यक्तिगत चोट लगी हो या कर्मकार की मृत्यु हो गई हो। वास्तव में, 1940 एसी 190 में रिपोर्ट किए गए डोवर नेविगेशन कंपनी लिमिटेड बनाम इसाबेला क्रेग के निर्णय से प्राप्त निहितार्थ पर विचार करते हुए, जो अखिल भारतीय रिपोर्टर से रिपोर्ट किया गया, उक्त निर्णय में, इस बारे में चर्चा की थी कि “रोजगार का अनुक्रम” क्या होगा, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि इसे “रोजगार से उत्पन्न होने वाले” शब्दों से अलग किया जाना चाहिए, क्योंकि यह शब्द किसी व्यक्ति की सेवा के संदर्भ में स्थिति से संबंधित है और इसके बाद का हिस्सा कार्य-कारण से संबंधित है। इसलिए, केवल रोजगार के क्रम में होने के कारण, यदि कोई घटना मृत्यु में परिवर्तित हो जाती है, तो यह हमेशा सार्वभौमिक रूप से नहीं कहा जा सकता है कि यह एक रोजगार से उत्पन्न हो रहा था और चूंकि, जैसा कि पहले ही ऊपर देखा गया है, प्रस्तुत मामले में, यह रोजगार से उत्पन्न नहीं हो रहा था, प्रतिकर को इसकी विशिष्ट परिभाषा में नहीं कहा जा सकता है, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मैकिनन मैकेंजी एंड कंपनी (पी) लिमिटेड नाम इब्राहिम मोहम्मद इशाक (1969) 2 एससीसी 607, में रिपोर्ट किए गए एक अन्य निर्णय में फिर से व्यवहार किया गया है। उसी का पैरा 5 आगे उद्धरण किया गया है:-

““5. अधिनियम के अंतर्गत आने के लिए दुर्घटना से चोट रोजगार से और उसके दौरान दोनों में उत्पन्न होनी चाहिए। “रोजगार के क्रम में” शब्दों का अर्थ है “उस कार्य के क्रम में जो श्रमिक करने के लिए नियोजित है और जो इसके लिए प्रासंगिक है। “रोजगार से उत्पन्न होने वाल” शब्दों का अर्थ यह समझा जाता है कि “रोजगार के दौरान, चोट सेवा के कर्तव्यों के लिए आकर्षिक कुछ जोखिम के परिणामस्वरूप हुई है, जो, जब तक कि स्वामी के प्रति कर्तव्य में संलग्न नहीं है, यह विश्वास करना उचित है कि श्रमिक को अन्यथा नुकसान नहीं उठाना पड़ता। “दूसरे शब्दों में दुर्घटना और रोजगार के बीच एक कारण संबंध होना चाहिए।” रोजगार से उत्पन्न” अभिव्यक्ति पुनः केवल रोजगार की प्रकृति तक ही सीमित नहीं है। यह अभिव्यक्ति रोजगार पर इस प्रकार लागू होती है—इसकी प्रकृति, इसकी शर्तें, इसके दायित्वों और इसकी घटनाओं पर। यदि उन कारकों में से किसी के कारण श्रमिक को विशेष खतरे के क्षेत्र में लाया जाता है तो चोट वह होगी जो “रोजगार से” उत्पन्न होती है। इसे अलग तरह से रखने के लिए यदि दुर्घटना किसी जोखिम के कारण हुई थी जो रोजगार की एक घटना है, तो मुआवजे का दावा तब तक सफल होना चाहिए, जब तक कि निश्चित रूप से श्रमिक ने अपने स्वयं के अविवेकपूर्ण कार्य से खुद को एक अतिरिक्त खतरे में नहीं डाला हो।””

33. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिसमें, यह निर्धारित किया है कि

सिद्धांतों के आधार पर, जो ट्रिम ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बनाम केली 1914 अधिनियम 667, में रिपोर्ट किए गए निर्णय अखिल भारतीय रिपोर्टर में अवलोकित किया गया है, कि दुर्घटना का अर्थ एक अप्रिय अनहोनी है जिसकी उम्मीद या परिकल्पना या योजना नहीं बनाई गई है और जो मनुष्य को पता नहीं है, या चोटें, जिसका अर्थ मनोवैज्ञानिक चोट भी है, वहां यह माना गया है कि अभिव्यक्ति दुर्घटना, शब्द के एक लोकप्रिय और सामान्य अर्थ में एक अनहोनी को दर्शाती है, जिसकी उम्मीद नहीं थी, और हमेशा दुर्घटना के उक्त सिद्धांत को प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के सभी समूह के अन्तर्गत सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, जिसे उस मामले के तथ्य से अलग किया जा सकता है।

34. हाल के निर्णयों में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये से एक में, दीवानी याचिका स 1836 / 2020 पूनम देवी और अन्य बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यह एक बार फिर एक मामला था, जहां एक ट्रक टाटा 407 का चालक, वाहन खड़ा करने के बाद, स्नान के लिए पानी लाने के लिए यमुना नदी पर गया था, वह फिसल गया और नहर में डूब गया और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा 2,3,7,8 और 11 में अभिनिर्धारित किया है, जिसका उद्धरण किया गया है :—

“ 2. मृतक की आयु 21 वर्ष थी, जो प्रतिवादी सं 2 के रोजगार से था। वह 11.06.2003 को अंबाला से मेरठ तक लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर अपना टाटा 407 वाहन नंबर य०पी०-१५पी-१६८९ चला रहा था। दोपहर करीब 12.30 बजे जब वह गांव फतेहपुर के पास पुल के पास पहुंचा तो मृतक पानी लाने और नहाने के लिए यमुना नहर गया। दुर्भाग्य से वह नहर में फिसल गया और उसकी मौत हो गई। वाहन का बीमा प्रतिवादी बीमा कंपनी के साथ किया गया था। पी०डब्ल० 2, जो पुल के पास खड़ा था, ने कथन किया कि मृतक व्लीनर के साथ एक कैन में पानी लाने गया था, जिसने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन दोनों नहर में फिसल गए। कर्मकार मुआवजा आयुक्त द्वारा आदेश दिनांकित 12.12.2005 से उपरोक्त दावे को स्वीकार किया।

3. बीमा कंपनी की अपील में उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मृतक की मृत्यु रोजगार के दौरान हुई होगी, लेकिन मृत्यु रोजगार से नहीं हुई, क्योंकि नहर में स्नान करना रोजगार के लिए आकस्मिक नहीं था, बल्कि कर्मकार के जोखिम पर था। कर्मकार की मृत्यु और उसके रोजगार के बीच कोई कारण संबंध नहीं था। वह व्यक्तिगत उपभोग के लिए पानी लाने गया था और यह उसका मामला नहीं था कि ट्रक अत्यधिक गर्म था।

7. कर्मकारों का क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 (अब “कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923” के रूप में नामित) सामाजिक रूप से लाभकारी विधान का एक हिस्सा है। इसलिए प्रावधानों की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए ताकि कानून के उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके, न कि इसे बाधित किया जा सके। प्रत्यक्ष संघर्ष के मामले में, जब कोई सुलह संभव नहीं है, तभी वैधानिक प्रावधान प्रबल होगा।

8. चर्चा के लिए अधिनियम की धारा 3 प्रासंगिक है। प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है:

“3. क्षतिपूर्ति के लिए नियोक्ता का दायित्व। (1) यदि किसी कर्मचारी को उसके नियोजन से और उसके दौरान दुर्घटना से व्यक्तिगत क्षति पहुंचती है, तो उसका नियोक्ता इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार प्रतिकर का भुगतान करने के लिए दायी होगा:

XXXX ”

11. प्रस्तुत मामले के तथ्यों पर आते हुए, मृतक प्रतिवादी नं. 2 के ट्रक को अंबाला से मेरठ तक चला रहा था। निविवाद रूप से वह अपने रोजगार के अनुक्रम में था। हम इस तथ्य का न्यायिक नोटिस ले सकते हैं कि निर्माता के विनिर्देश पर विचार करते हुए, ट्रक का केबिन वातानुकूलित नहीं था और जून 2003 की उमस भरी मानसून की गर्मी में

दोपहर के मध्य में बेकिंग ओवन होता, जब तापमान यमुनानगर (हरियाणा) में 42.60 सी को छू रहा था (स्रोत: वेदरआनलाइन .इन)। मृतक के लिए यह मजबूरी थी कि वह न केवल प्रतिवादी नंबर 2 के ट्रक की क्षति से सुरक्षा के लिए ताजा और सतर्क रहे, बल्कि एक सहज यात्रा और सुरक्षित ड्राइविंग द्वारा अपने जीवन की रक्षा करना सुनिश्चित करने के लिए भी हम इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान भी ले सकते हैं कि अत्यधिक गर्मी को रोकने के लिए ट्रक को पानी की आवश्यकता होने की संभावना से पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में, क्या यह कहा जा सकता है कि ट्रक के लिए एक डिब्बे में पानी लाने के लिए नहर में जाने और यात्रा जारी रखने से पहले स्नान करके खुद को तरोताजा करने का कार्य रोजगार के लिए अनुषांगिक नहीं था? नियोक्ता से संबंधित ट्रक की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपने लिए एक सुरक्षित यात्रा द्वारा अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्रक के चालक की प्रत्येक कार्यवाई को काल्पनिक रोजगार सिद्धांत का विस्तार करते हुये रोजगार के लिए अनुषांगिक माना जाना चाहिए। एक ट्रक चालक जो इस तरह की गर्मी में गड़ी चलाने के लिए खुद को तरोताजा नहीं रखेगा, वह गर्मी के कारण निर्णय की किसी भी वास्तविक त्रुटि के कारण सड़क पर दूसरों के लिए एक संभावित खतरा होगा। एग्नेस और लीला बाई (सुप्रा) में अनुसरण किए गए काल्पनिक विस्तार के सिद्धांत का उद्घरण दिया जा रहा है :

“9. प्रस्तुत मामले के तथ्यों और साक्ष्य की प्रकृति में, एग्नेस (उपरोक्त) में विचार किए गए रोजगार के “काल्पनिक विस्तार” के सिद्धांत को लागू करने के लिए दुर्घटना और रोजगार के बीच एक स्पष्ट संबंध था: “..... अब यह अच्छी तरह स्थापित है कि, चूंकि यह नियोक्ता के परिसर के काल्पनिक विस्तार के सिद्धांत का विषय है अतः उस क्षेत्र को भी सम्मिलित किया जाना है जिससे कर्मकार वास्तविक कार्य के स्थान पर जाने के लिये जाता है या पुनः जाता है। समय और स्थान दोनों में कुछ उचित विस्तार हो सकता है और एक कर्मचारी को अपने रोजगार के दौरान माना जा सकता है, भले ही वह अपने नियोक्ता के परिसर तक नहीं पहुंचा था या छोड़ चुका था। हर समय काल्पनिक विस्तार के इस सिद्धांत को विचार में रखते हुए प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की बहुत सावधानी से जांच करनी होगी ताकि यह निर्धारण किया जा सके कि क्या दुर्घटना एक कर्मचारी के रोजगार से और उसके दौरान हुई थी।”

35. उक्त अनुपात में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि दुर्घटना की उक्त प्रकृति को विशेष रूप से ऐसी दुर्घटना के रूप में नहीं माना जाएगा, जो रोजगार के दौरान उत्पन्न होती है और इसलिए, मृतक के उत्तराधिकारियों को अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत स्वयं नियोक्ता से लाभ के लिए हकदार माना गया था।

36. इसलिए, मौजूदा मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि की समग्र जांच पर, और विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित निर्णयों के आलोक में, इस न्यायालय की राय है कि स्वर्गीय श्री शंकर सिंह की मृत्यु का कारण, जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, हालांकि यह निश्चित रूप से रोजगार के दौरान हुआ था, जो तथ्य है कार्यवाही के पक्षों के समक्ष स्वीकार किया गया था, लेकिन बुनियादी महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है, जिसे संतुष्ट करने और अभिकथित करने की आवश्यकता थी, कि क्या यह एक दुर्घटना के परिणामस्वरूप था, चूंकि यह स्थापित नहीं था, मृतक की मृत्यु का कारण रोजगार के दौरान एक दुर्घटना नहीं होगा, और न ही इसे काम के तनाव के कारण हुई मृत्यु के रूप में माना जाएगा। यहां क्योंकि घटना की दिनांक व समय व तनाव के कथानक (यद्यपि सावित नहीं हुआ) पर्याप्त अन्तर था। इसलिए, बीमा अधिनियम के अन्तर्गत निहित प्रावधानों के आलोक में, मुआवजे के भुगतान का दायित्व विशेष रूप से उस नियोक्ता पर निहित होगा जिसके साथ मृतक कार्यरत था, न कि बीमा कंपनी पर।

37. अतः अपील केवल अपीलकर्ता के लिए स्वीकार की जाती है। इस प्रकार यहां, सम्बंधित बस के नियोक्ता, प्रतिवादी नं. 2, को मुआवजे की राशि का भुगतान करने जैसा कि निर्धारित किया गया था निर्देशित किया जाता है। यद्यपि उक्त राशि का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा दावेदारों को किया जाएगा और नियोक्ता / प्रतिवादी नं. 2 से वसूलनीय होगा।

38. उपर्युक्त शर्तों के अधीन, आदेश से अपील की अनुमति है। आक्षेपित अधिनिर्णय को बीमा कंपनी के लिये अभिखंडित कर दिया गया है और वहां तक संशोधित किया गया है जहां तक यह वाहन के मालिक जो कि प्रतिवादी सं02 है, से संबंधित है।

(शरद कुमार शर्मा, जे.)

17.08.2021